सी.ए. सुधीर हालाखंडी

आइये समझे जी.एस.टी. को
छोटे एवं माध्यम दर्जे के व्यापार एवं उद्योग के लिए

98280-67256
(केवल व्हाट्स एप्प संपर्क के लिये प्रयोग करें)

दिनांक 12 अप्रैल 2017

DO NOT COPY

भाग -1

सरकार अब एक जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू करने वाली है और इसके लिए आपको विशेष रूप से छोटे एवं मझोले व्यापारियों एवं लघु एवं माध्यम दरजे के उद्योगों को जी.एस.टी. की जानकारी देने के लिए एक सीरीज प्रारम्भ कर रहें है है इसे आप पढ़कर समझने की कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से जी.एस.टी. कानून का पालन करना है और किस तरह ये आपके व्यापार को प्रभावित करेगा. जी.एस.टी. के दौरान आपको प्रारम्भिक रूप से यह देखना है कि अब आपको एक ही बिक्री पर दो करों को एकत्र करना है

(1). राज्य का जी.एस.टी.

(2) केंद्र का जी.एस.टी. इन्हें एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. के रूप में जाना जाएगा.

जी.एस.टी. के दौरान कर बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा और इससे क्या फर्क पडेगा इसे हम आगे के भागों में समझेंगे. अभी आप जी.एस.टी. का बेसिक समझने का प्रयास करें .

आइये इसे एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करें

जयपुर (राजस्थान) का एक व्यापारी "अ" जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी "ब" को कोई माल 10 लाख रुपये में बेचता है और मान लीजिये कि राज्यों के जी.एस.टी. की दर 8 प्रतिशत है एवं केंद्र के जी.एस.टी. की दर 10 प्रतिशत रहती है इस प्रकार जी.एस.टी. की कुल दर 18 प्रतिशत हुई (फिलहाल मान लीजिये) तो "अ" इस व्यवहार में 80000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. (राज्य का जी.एस.टी.) एवं 1.00 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में अपने खरीददार "ब" से वसूल करेगा.

DO NOT COPY

आइये इस सौदे का दूसरा भाग देखें

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाए और देखे कि इसी माल को जयपुर का "ब" नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर जोधपुर के किसी अन्य शहर के व्यापरी "स" को 10.50 लाख रुपये में बेचता है तो वह 84000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. एवं 1.05 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में वसूल करेगा .

राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में क्या मिलेगा

यहाँ ध्यान रखे कि "ब" पहले से ही एस.जी.एस.टी. के रूप में अपना माल खरीदते हुए 80000.00 रूपये का भुगतान कर चुका है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में 1.00 लाख रुपये का भुगतान इसी

प्रकार कर चुका है एवं इस प्रकार "ब" की इनपुट क्रेडिट एस.जी.एस.टी. के रूप में 80000.00 रुपये है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में इनपुट क्रेडिट 1.00 लाख रुपये है जिसे वह अपने द्वारा "स" से वसूल किये गए कर में घटा कर जमा करा देगा.

इस प्रकार "ब" एस.जी.एस.टी. के रूप में (रुपये 84000.00 - रुपये 80000.00) 4000.00 रुपये का भुगतान राज्य के खजाने में जमा कराएगा एवं इसी प्रकार से सी.जी.एस.टी. (रुपये 1.05लाख - रुपये 1.00 लाख) 5000.00 रुपये केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा.

इस पूरे व्यवहार को देंखे तो इससे केंद्र सरकार को 1.05 लाख रूपये का कर मिलेगा और और राज्य सरकार को 84000.00 रुपया कर को मिलेगा.

DO NOT COPY

क्या राज्य के भीतर ही बिक्री होने पर भी राज्य और केंद्र दोनों का कर देना होगा

\यहाँ यह ध्यान रखें कि राज्य के भीतर माल का वितरण या बिक्री करने पर भी केंद्र और राज्य दोनों को कर देना होगा और अब से व्यापारी एक ही बिल में "दो कर" जैसा कि ऊपर बताया गया है एक ही बिल में लगाएगा और यह तथ्य कि एक ही बिल में अब डीलर्स को दो टैक्स एक ही बिल में लगायेंगे जायेंगे तो फिलहाल आपके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य हो सकता है .

जी.एस.टी. जैसा कि ऊपर बताया गया है उसी तरह से लगेगा और इसके साथ ही राज्यों में लगने वाला वेट और केंद्र में लगने वाला

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात सेंट्रल एक्साइज भी समाप्त हो जाएगा. राज्यों और केंद्र के और कौन -कौन से कर समाप्त होंगे यह हम अगले कुछ भागों में पढेंगे.

यह जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरुप है और चूँकि आप इसका पहला भाग पढ़ रहे है इसलिए यह आपको थोड़ा समझने में तकलीफ दे सकता है लेकिन आप इसे अच्छी तरह से पढ़े और समझे क्यों कि एक जुलाई 2017 से आपको ही इसका पालन करना है .इसे पढने और समझने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है .

अगले भाग में आपको हम समझेंगे कि जब एक राज्य से दुसरे राज्य माल बेचा (या भेजा जाएगा) तो जी.एस.टी. (जिसे आई.जी.एस.टी. कहा जाएगा) किस प्रकार लगेगा एवं इसका समायोजन तथा भुगतान किस तरह प्रकार से किया जाएगा और उसके बाद इस प्रकार कर की दर तय होगी और किस प्रकार की वस्तुए कर मुक्त हो सकती है .

DO NOT COPY

नोट :- इसे पढ़ें और उन लोंगों को **अग्रेषित** (FORWARD) **करें** जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है .

-सी.ए.सुधीर हालाखंडी